Before

UTTARAKHAND ELECTRICITY REGULATORY COMMISSION

Petition No. 30 of 2018 (Suo-Motu)

In the matter of:

Suo-moto proceedings in the matter of Show Cause Notice issued to PTCUL under the provisions of Section 142 read with Section 149 of the Electricity Act, 2003, relating to construction of 132 kV line for M/s Gold Plus Glass Industry Ltd., Roorkee.

And

In the matter of:

1. Power Transmission Corporation of Uttarakhand Limited (PTCUL)
2. Uttarakhand Power Corporation Limited (UPCL)
3. M/s Gold Plus Glass Industry Limited, (Roorkee)

……Respondents

Coram

Shri Subhash Kumar Chairman

Date of Order: September 13, 2018

ORDER

This Order relates to Suo-moto proceedings carried out by the Commission in the matter relating to construction of dedicated 132 kV line for M/s Gold Plus Glass Industry Ltd., Roorkee.

2- The Commission received a letter dated 22.01.2018 from M/s Gold Plus Glass Industry Ltd. stating that Power Transmission Corporation of Uttarakhand Ltd. (hereinafter referred to as PTCUL or Respondent-1) in non-compliance of the Order of the Hon'ble APTEL dated 30.11.2017 upholding this Commission's Order dated 16.01.204 & 10.06.2014 wherein the Commission had categorically directed PTCUL to complete the work of construction of 132 kV line for M/s Gold Plus Glass Industry Ltd., Roorkee and furnish quarterly progress

report and also to pay interest on the amount lying unutilised with it and adjust the same from the dues of the Petitioner.

3- The Commission decided to initiate suo-moto proceedings in the matter and issued a Show Cause notice to PTCUL under the provisions of Section 142 read with Section 149 of the Electricity Act, 2003. Hearing in the matter was held on 17.07.2018.

4- The Commission vide its daily Order dated 17.07.2018 directed:

"The Commission directed all the Respondents in the matter to sit together and decide as to how 132 kV independent feeder for M/s Gold Plus Glass Industries Ltd. can be completed without any further hindrance and submit a mutually agreed Action Plan on an Affidavit to be submitted by PTCUL in this regard within one month of issuance of this Order."

5- In compliance of the said directives of the Commission, Managing Director, PTCUL submitted minutes of meeting held between the Respondents on 24.08.2018 on an Affidavit wherein the following consensus was reached between the Respondents:

"...

माननीय उत्तराखण्ड नियामक आयोग, देहरादून के द्वारा दिनांक 17.07.2018 को निर्गत आदेशों के अनुपालन में सम्बन्धित तीनो पक्षों के मध्य संयुक्त वार्ता की गयी एवं निम्न बिन्दुओं पर चर्चा एवं सहमति प्रदान की गयीः–

1. *मैसर्स गोल्ड प्लस को 132 के0वी0 रूड़की–लक्सर लाईन को लीलो कर उपभोक्ता के परिसर में स्विचिंग उपस्थान का निर्माण कार्य किया जयेगा एवं उसके द्वारा स्वतंत्र रूप से विद्युत आपूर्ति प्रदान करने की आम सहमति बनी एवं उपरोक्त समस्त कार्य हेतु परिसर में प्रस्तावित भूमि उपभोक्ता के द्वारा निः शुल्क उपलब्ध करायी जायेगी एवं उक्त स्थान पर आने–जाने हेतु प्रयोग किये जाने वाले रास्ते पर पिटकुल को भी निर्बाघ रूप से आने–जाने हेतु रास्ता प्रदान कर दिया जायेगा। उपभोक्ता के परिसर में निर्मित स्विचिंग उपसंस्थान पर पिटकुल का एकमात्र स्वामित्व व नियंत्रण होगा।*

2. *उपरोक्त स्विचिंग उपस्थान के निर्माण कार्य एवं स्विचिंग उपस्थान हेतु लीलो कार्य में आने वाले समस्त खर्चों को वहन करने की उपभोक्ता द्वारा स्वीकृति प्रदान की जाती है। उपभोक्ता द्वारा उठाये गये बिन्दुओं पर निम्नवत् आम सहमति पायी गयीः–*

बिन्दु सं0	*बिन्दु*	*आम सहमति*
1	*उपभोक्ता के द्वारा मंगलौर में 132 के0वी0 उपकेन्द्र पर बे बनाने के लिए जो जमीन उपलब्ध करायी गयी थी उस भूमि का मार्किट रेट के अनुसार धनराशि उपभोक्ता को वापिस किया जाना अपेक्षित है।*	*उपभोक्ता के द्वारा मंगलौर में उपकेन्द्र पर बे बनाने के लिए जो जमीन उपलब्ध करायी गयी थी। उस भूमि का क्रय दिनांक के सर्किल रेट के अनुसार गणना करके उपरोक्त कार्य हेतु धनराशि को समायोजित कर लिया जायेगा। उक्त भूमि को उपभोक्ता द्वारा पिटकुल के पक्ष में विधिक रूप से हस्तान्तरित किया जायेगा।*
2	*उपरोक्त लाईन के निर्माण हेतु किये गये व्यय व मंगाई गयी सामग्री को पिटकुल उपरोक्त कार्य में आने वाले खर्चे में समायोजित करना उपभोक्ता के*	*उपरोक्त कार्य हेतु पारेषण लाईन के एवं 132 के0वी0 बे के निर्माण हेतु खरीदी गयी सामग्री जो कि प्रयोग हेतु उपयुक्त है उनको तत्कालीन अनुबन्धानुसार क्रय*

बिन्दु सं0	बिन्दु	आम सहमति
	हित में अपेक्षित है।	की गयी दरों के अनुसार समायोजित कर दिया जायेगा **(संलग्नक–क)**
3	जैसा कि आपको अवगत है कि लाईन निर्माण हतु 13 फाउन्डेशन का निर्माण किया जा चुका है अतः इसमें हुए खर्चे को उपरोक्त लीलो कार्य में समायोजित करना अपेक्षित है। पूर्व में जमा किए गये धनराशि पर पिटकुल द्वारा अर्जित व्याज धनराशि को भी उपरोक्त लीलो कार्य में समायोजित करने का कष्ट करें।	13 फाउन्डेशनस् के निर्माण में किये गये खर्चे को उपरोक्त लीलो कार्य में अप्रयोज्य होने के कारण समायोजित नहीं किया जा सकता है। उक्त 13 फाउन्डेशनस् पर हुआ व्यय मैसर्स गोल्ड प्लस द्वारा वहन किया जायेगा। पूर्व में जमा किये गये धनराशि के सन्दर्भ में शेष धनराशि पर पिटकुल द्वारा वास्तविक रूप से अर्जित व्याज धनराशि को उपरोक्त लीलो कार्य में समायोजित कर लिया जायेगा।
4	उपभोक्ता के परिसर में प्रस्तावित लीलो कार्य हेतु आने वाले कुल खर्चे का व्यौरा उपलब्ध कराने की कृपा करें ताकि उपरोक्त बिन्दुओं के आधार पर आने वाले खर्चे का आंकलन किया जा सके। यहॉ यह भी स्पष्ट करना आवश्यक है कि उपभोक्ता के परिसर में प्रस्तावित लीलो कार्य हेतु कोई भी धनराशि प्रथक से उपभोक्ता के द्वारा व्यय करना सम्भव नहीं हो पायेगा। अपितु पूर्व में जमा किये गये धनराशि एवं बिन्दु 1,2 व 3 के आधार पर समायोजित करने वाली धनराशि के आधार पर ही उपरोक्त लीलो कार्य का निर्माण कार्य पिटकुल अपने स्तर पर करना सुनिश्चित करे।	उपभोक्ता के परिसर में प्रस्तावित लीलो कार्य हेतु आने वाले अनुमानित लागत का व्यौरा संलग्न है। उपरोक्त कार्य पूर्ण होने के उपरान्त बची हुई शेष राशि 90 कार्य दिवसों के भीतर उपभोक्ता को वापिस कर दी जायेगी **(संलग्नक–ख)**

..."

6- The Commission takes cognizance of the said Minutes of Meeting and directs PTCUL to construct the proposed LILO ensuring compliance of CEA (Grid Standards)Regulations, 2010, CEA (Technical Standards for Construction of Electrical Plants and Electric Lines) Regulations, 2010, CEA (Safety Requirements for Construction, Operation and Maintenance of Electrical Plants and Electric Lines) Regulations, 2011 read with their amendments from time to time.

7- It must also be ensured by Respondent-1 that proper accounting of the material received back from the site must be done in a transparent manner and thereafter, the same must be properly utilized in the future projects.

Ordered accordingly.

(Subhash Kumar)
Chairman